संख्या-73/2020/3990/71-2-20-के0जी0एम0यू0-30/2013

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 नवम्बर, 2020

विषयः- के0जी0एम0यू0 के ट्रामा सेन्टर के ऊपर 02 अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि के प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 8219/योजना अनु0/2019, दिनांक 08-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर के ऊपर 02 अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजना हेतु शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 119.39 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी धनराशि रू0 12.66536 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- के0जी0एम0यू0 के ट्रामा सेन्टर के ऊपर 02 अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-30/2017/248/71-02-2017-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 23.03.2017 द्वारा धनराशि रू0 2387.81 लाख की प्रदान की गयी पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु देय जी0एस0टी0 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 08.11.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर के ऊपर 02 अतिरिक्त तलों के निर्माण प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-40/2018/865/71-2-18-के0जी0एम0यू0-30/2013, दिनांक 08.03.2018 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 119.39 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 9.86424 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से 2.80112 लाख अर्थात जी0एस0टी0 मद में जमा की गयी कुल धनराशि रू0 12.66536 लाख (रूपये बारह लाख छाँछट हजार पांच सौ छत्तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 तथा शासनादेश दिनांक 07-04-2020 एवं दिनांक 11-04-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट हो जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(3) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई भी रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात ही प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

(4) इस संबंध में अन्य सुसंगत प्रचलित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- कुल अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 9.86424 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-031-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे तथा रू0 2.80112 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31- के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1039, दिनांक 26-10-2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-73/2020/3990/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in